राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-2021-22 पर प्रेस ब्रीफ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान मंडल में रखने के लिए राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करते है। तदनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)-राजस्थान सरकार विधान मंडल में दिनांक 19 जुलाई 2023 को रखा जा चुका है। प्रक्रियानुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल की जन लेखा समिति को सौंपा गया मान लिया जाता है।

राज्य सरकार की उपलब्धियाँ

- वर्ष 2021-22 के दौरान बकाया प्रत्याभूतियों का अनुमानित प्राप्तियों से अनुपात (38.83 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा (60.00 प्रतिशत) के भीतर रहा।

(अनुच्छेद 2.7.2)

- राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्षों के लिए व्यय और प्राप्तियों का नियंत्रक अधिकारियों के माध्यम से महालेखाकार (लेखा एवं हक़) कार्यालय के साथ 100 प्रतिशत अंक मिलान किया।

(अनुच्छेद 4.9)

लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दर्शाये गये हैं:

राजकोषीय स्थिति

- राज्य की राजकोषीय स्थिति को तीन प्रमुख राजकोषीय मापदंडों-राजस्व घाटा/अधिशेष, राजकोषीय घाटा/अधिशेष और बकाया ऋण के जीएसडीपी से अनुपात के संदर्भ में देखा जाता है।

- जीएसडीपी के प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा वर्ष 2020-21 में 5.86 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021-22 में 4.03 प्रतिशत हो गया, जो कि एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित तीन प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था।

- एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाए रखना या राजस्व अधिशेष प्राप्त करना था। तथापि, राज्य सरकार का वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व घाटा ₹ 25,870 करोड़ था।

(अनुच्छेद 1.5)

राज्य का वित्त

- राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में ₹ 49,612 करोड़ (36.94 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा राजस्व व्यय में गत वर्ष की तुलना में ₹ 31,481 करोड़ (17.66 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

(अनुच्छेद 2.3.2.1 एवं 2.4.2)

- पूंजीगत परिव्यय में गत वर्ष की तुलना में ₹ 8,881.11 करोड़ (58.16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

(अनुच्छेद 2.4.3.1)

- वर्ष 2021-22 के दौरान, एनपीएस में कर्मचारी अंशदान ₹ 641.89 करोड़ का कम अंतरण किया गया। इसके अलावा, कर्मचारी अंशदान के ₹ 778.28 करोड़ और लिगेसी राशि ₹ 30.72 करोड़ के कम हस्तांतरण के कारण राज्य सरकार की ओर से ₹ 809.00 करोड़ की आस्थगित देनदारी है।

(अनुच्छेद 2.4.2.3)

बजटीय प्रबंधन

- वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार के बजट अनुमान यथार्थ नहीं थे तथा बजट तैयार करने और निष्पादन में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए बजट पूर्व एक विस्तृत प्रक्रिया अपनाने के बावजूद बजटीय अनुमान एक स्तर तक सही नहीं थे और बजट के निष्पादन और अनुश्रवण पर नियंत्रण अपर्याप्त था।

- वर्ष 2021-22 के दौरान, ₹ 32,628.83 करोड़ (9.86 प्रतिशत) की बजटीय बचत हुई और ₹ 72,779.09 करोड़ के अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुए। आगे, वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान अनुपूरक अनुदान लगातार अनावश्यक सिद्ध हुए जबकि 2020-21 तथा 2021-22 में अनुपूरक अनुदान अत्यधिक थे। पिछले कई वर्षों से इन मामलों को प्रत्येक वर्ष उठाने के बावजूद राज्य सरकार इस संबंध में सुधारात्मक उपाय करने में विफल रही।

- आवंटन के साथ-साथ व्यय में विचलन के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हक) को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये गये । इस संबंध में जन लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद वर्ष के दौरान अनुदानों के अंतर्गत लगातार बचतों के मामले देखे गए।

(अनुच्छेद 3.5.1)

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग

- राज्य सरकार ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 31 मार्च 2022 तक पांच आरक्षित निधियों/निक्षेप निधियों में ₹ 6,767.15 करोड़ का कम हस्तांतरण किया।

(अनुच्छेद 4.1)

- 31 मार्च 2022 तक विभिन्न विभागों ने 2010-11 से 2020-21 की अवधि से संबंधित कुल ₹1,833.21 करोड़ के 770 उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हक़) को प्रस्तुत नहीं किए। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का निहित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं करना न सिर्फ वित्तीय जवाबदेयता तंत्र की कमजोरी को बल्कि विभागीय अधिकारियों के नियमों की पालना में विफलता को भी इंगित करता है ।

(अनुच्छेद 4.4)

- राज्य सरकार ने 31 मार्च 2022 तक विभिन्न विभागों में ₹118.50 करोड़ की राशि के गबन और सरकारी धन की चोरी/हानि के 745 मामले दर्ज किए, जिन पर 30 जून 2022 तक अंतिम कार्रवाई लंबित थी।

(अनुच्छेद 4.12)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

- राजस्थान की जीएसडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का योगदान 2019-20 के 8.29 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 7.44 प्रतिशत हो गया।

(अनुच्छेद 5.3)

- वर्ष 2021-22 के दौरान 42 संवाधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों में से 27 पीएसयू ने लाभ अर्जित किया,12 पीएसयू ने हानि दर्ज की तथा तीन पीएसयू ने न तो लाभ न हानि अर्जित की। 31 मार्च 2022 तक 23 पीएसयू में ₹1,07,318 करोड़ की संचित हानि थी।

(अनुच्छेद 5.5)

- 31 मार्च 2022 तक 23 हानि वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से 15 का निवल मूल्य संचित हानि से पूरी तरह से समाप्त हो गया था। इन 15 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में ₹ 34,596.22 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के मुकाबले निवल मूल्य ऋणात्मक ₹ 62,749.66 करोड़ था।

(अनुच्छेद 5.5.3)

- एक सांविधिक निगम सहित 24 पीएसयू के 49 लेखे बकाया थे।

(अनुच्छेद 5.6.2.2)